रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 1986/वैशाख 8, 1908

No. 211] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 1986/VAISAKHA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1986

अधिसूचनाएं

सं. 365/86 सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 634 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 28 के अन्तर्गत आने वाले लैम्प काजल और कार्बन काजल को, जब भारत में उसका आयात मुद्रण स्याही या काले पेन्टों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् आयातित माल कहा गया है) के विनिर्माण के लिए किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार उन पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से जितना मूल्य के 55 प्रतिशत से अधिक है, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि आयातकर्ता इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि :—

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन लिए किया जाएगा,

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए उक्त आयातित माल का हिसाब सहायक सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा ;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्ति उक्त आयातित माल के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में 3 मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा ; और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अंतर के बराबर हो ।

[फा. सं. 528/5/86-सी. शु. (टी. यू.)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th April, 1986

NOTIFICATIONS

No. 265|86-CUSTOMS

G.S.R. 684(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts lamp black and carbon black falling within Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of printing ink or black paints (hereinafter referred to as the imported goods), from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 55 per cent ad valorem, subject to the condition that importer furnishes an undertaking to the effect that :—

(a) the imported goods shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner spedified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing the receipt of the imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं. 266/86-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 685 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 37 के अंतर्गत आने वाले रंगीन जम्बो फिल्मों को, जब भारत में उनका आयात रंगीन सिने फिल्मों के प्रसंस्करण के लिए किया जाए, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक है परन्तु यह तब जब आयातकर्ता इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करता है कि—

(क) उक्त रंगीन जम्बो फिल्मों का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ; और

(ख) वह, ऊपर (क) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।

[फा० सं. 528/5/86-सी. शु. (टै. यू.)]

No. 266|86-CUSTOMS.

G.S.R. 685(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts colour jumbo films falling within Chapter 37 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for processing into colour cine films, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 50 per cent ad valorem :

Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said colour jumbo films shall be used for the purpose specified above; and

(b) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein, and that already paid at the time of importation.

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं 267/86-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 686 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 39 के अंतर्गत आने वाले सेलुलोस ऐसीटेट फ्लेक्स (फ्लेक्स) को, जब भारत में उनका आयात सेलुलोस ऐसीटेट ढालने के दानों के विनिर्माण के लिए किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देता है जितना मूल्य के 50 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है, परन्तु यह तब जब आयातकर्ता इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करता है कि—

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ; और

(ख) वह, ऊपर (क) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।

[फा. सं. 528/5/86-सी. शु. (टै. यू.)]

No. 267|86-CUSTOMS

G.S.R. 686(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Cellulose Acetate Flakes, falling within Chapter 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India for the manufacture of cellulose acetate moulding granules, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 50 per cent ad valorem :

Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above; and

(b) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein, and that already paid at the time of importation.

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं. 268|86-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 687(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क, अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उस अध्याय संख्यांक के अन्तर्गत आने वाले माल को जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, तब जब एक्स-रे इमेज संघनन प्रणाली के विनिर्माण हेतु भारत में उसका आयात किया जाए, द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देता है जितना मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता इस आशय का बंधपत्र प्रस्तुत करता है कि—

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ; और

(ख) वह, ऊपर शर्त (क) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट क न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल को ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अंतर के बराबर हो ।

सारणी

क्रम सं.	सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का अध्याय सं.	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	अध्याय 85	एक्स-रे इमेज संघनन ट्यूब
2.	अध्याय 85	एक्स-रे इमेज वितरक ऑपटिक
3.	अध्याय 90	50 एम एम 0.95 उच्च गति लेंस

[फा. सं. 528/5/86-सी. शु. (टै. यू.)]

No. 268|86-CUSTOMS

G.S.R. 687(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling within Chapter No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India for the manufacture of X-ray image intensifier system from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule to the second mentioned Act, as is in excess of 40 per cent ad valorem :

Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above; and

(b) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein, and that already paid at the time of importation.

Sl. No.	Chapter No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	Chapter 85	X-ray image intensifier Tube
2.	Chapter 85	X-ray image Distributer optics
3.	Chapter 90	50 mm 0.95 high speed lens

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं. 269|86-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 688 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, डी. डी. टी. निर्मितियों को (75 प्रतिशत जल में परिक्षेपणीय चूर्ण 75 प्रतिशत ज. पि. चू.) तक उसके

भारत में आयात लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए केवल राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में प्रयोग के लिए किया जाए,—

(क) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से ; और

(ख) द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, छूट देता है :

परन्तु यह तब, जब आयातकर्ता इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करता है कि—

(क) उक्त डी. डी. टी. निर्मितियों का प्रयोग लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए केवल राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में किया जाएगा , और

(ख) वह, ऊपर (क) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य है ।

[फा. सं. 528/5/86-सी. शु. (टी. यू.)]

No. 269/86-CUSTOMS

G.S.R. 688(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts D.D.T. formulations (75 per cent water dispersible powder—75 per cent w.d.p.), when imported into India for use exclusively in the National Malaria Eradication Programme for public health purpose, from—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act :

Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said D.D.T. formulation shall exclusively be used in the National Malaria Eradication Programme for public health; and

(b) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[F. No. 528/5/86-CUS(TU)]

सं. 270/86–सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 689 (अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 39 के अंतर्गत आने वाले पोलिटेट्रा फ्लूरूक थाईलीन टेपों को, जब पालिटेट्रा फ्लूरूकथाईलीन लेपित तारों या पालिटेट्रा फ्लूरूकथईलन लेपित केबलों या दोनों, के विनिर्माण के लिए भारत में उनका आयात किया जाए,—

(क) उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से जितना मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक है , और

(ख) उक्त द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से ;

इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि आयातकर्ता इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करता है कि—

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए उक्त आयातित माल का हिसाब सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा ;

(ग) वह ऐसे हिसाब को विनिर्माता द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित संक्षिप्ति उक्त आयातित माल के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा ; और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतने रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"

[फा. सं. 528/5/86—सी. शु. (टी यू.)]

No. 270/86-CUSTOMS

G.S.R. 689(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Polytetra Flueroethylene Tapes falling within Chapter 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of Polytetra Flueroethylene insulated wires or Polyetra Flueroethylene insulated cables, or both, from :—

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 75 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act;

subject to the condition that the importer furnishes an undertaking to the effect that :—

(a) the said imported goods shall be used for the purposes specified above;

(c) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं. 271 /86 सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 690 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाले माल को, जब भारत में उनका आयात क्लोरेमफेनीकोल चूर्ण या क्लोरेमफेनीकल पामीटेट् के विनिर्माण के लिए किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 60 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करता है कि—

(क) उक्त माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ; और

(ख) वह, ऊपर (क) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।

अनुसूची

1. एल—आधार

2. आर—आधार

3. एस—आधार

[फा. सं. 528/5/86-सी.शु. (टी.यू.)]

No. 271|86-CUSTOMS

G.S.R. 690(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in the Schedule below, falling within Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of chloramphenicol powder or chloramphenicol palmitate, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 60 per cent ad valorem :

Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above; and

(b) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein, and that already paid at the time of importation.

SCHEDULE

1. L—Base.
2. R—Base.
3. S—Base.

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं. 272/86 सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 691 (अ) :—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, लेड शीशे की ट्यूबों और राडों को, तब जब विद्युत लैम्पों और फ्लोरोसेंट ट्यूबों के लिए सघटकों के विनिर्माण हेतु भारत में उनका आयात किया जाए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार उन पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि—

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, और

(ख) वह, ऊपर की शर्त (क) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अंतर के बराबर हो।

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर 1986 तक जिसमें यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 528/5/86 सी.शु. (टी.यू.)]

No. 272|86-CUSTOMS

G.S.R. 691(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts lead glass tubings and rods, when imported into India for the manufacture of

components for electrical lamps and fluorescent tubes, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of 40 per cent ad valorem :

Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above; and

(b) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein, and that already paid at the time of importation.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of September, 1986.

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं. 273/86 सीमा शुल्क

सा. का. नि. 692 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 158 सीमा शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह तब जबकि आयातकर्ता इस आशय का वचनबन्ध प्रस्तुत करता है कि—

(क) उक्त आयातित माल का उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा;

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर अभिप्राप्त और उपयोग में लाए गए उक्त आयातित माल का लेखा सीमा शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में बनाए रखा जाएगा ;

(ग) वह विनिर्माण के स्थान की परिसर में उक्त आयातित माल की प्राप्ति के साक्ष्य स्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित किए गए ऐसे लेखों का उद्धरण 3 मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सीमा शुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, शर्त ऊपर (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित ऐसी माला पर उदग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो ।

[फा. सं. 528/5/86-सी.शु. (टी.यू.)]

No. 273|86-CUSTOMS

G.S.R. 692(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 158-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow, and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं० 274/86-सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 693(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना, आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं 217-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह तब जब आयातकर्ता इस आशय का बचनबद्ध पत्र प्रस्तुत करता है कि—

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये किया जायेगा;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिये विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किये गये और उपयोग में लाये गये उक्त आयातित माल का हिसाब सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जायेगा ;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्त उक्त आयातित माल के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में 3 माल की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किये जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना मे अंतर्विष्ट छूट के न दिये जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।

[फा० सं० 528/5/86-सी०शु० (टी० यू०)]

No. 274|86—CUSTOMS

G.S.R. 693(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 217-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation".

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं० 275/86-सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 694(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 389-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह तब जब आयातकर्ता इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करता है कि—

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये किया जायेगा;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गये और उपयोग में लाये गये उक्त आयातित माल का हिसाब सहायक सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जायेगा ;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्ति उक्त आयातित माल के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में 3 मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमा शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किये जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट के न दिये जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।"।

[फा० सं० 528/5/86-सी०शु० (टी०यू०)]

No. 275|86-CUSTOMS

G.S.R. 694(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 389|76-Customs dated the 2nd August 1976, namely :—

In the said notification, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation".

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं० 276/86-सीमा शुल्क

सा०का०नि० 695(अ) :--केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व खण्ड) की अधिसूचना सं० 114-सीमा शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना मे, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह तब जब आयातकर्ता इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करता है कि--

(क) उक्त संघटक पुर्जों का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये किया जायेगा;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिये विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किये गये और उपयोग में लाये गये उक्त संघटक पुर्जे का हिसाब सहायक सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जायेगा;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्त उक्त संघटक पुर्जों के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में 3 मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमा शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने मे असफल रहने की दशा में, मांग किये जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट के न दिये जाने की दशा मे उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।"

[फा० सं० 528/5/86-सी०शु० (टी०यू०)]

No. 276/86-CUSTOMS

G.S.R. 695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 114-Customs, dated the 1st July, 1977, namely :—

In the said notification, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said component parts received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said component parts in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.".

[F. No. 528/5/86-CUS(TU)]

सं० 277/86-सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 696(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 39-सीमा-शुल्क, तारीख 15 फरवरी, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, शर्त (ii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जायेगी/रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ii) आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा—

(क) उक्त संघटित पुर्जों का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जायेगा ;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिये विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किये गये और उपयोग में लाये गये उक्त संघटित पुर्जों का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जायेगा ;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्ति उक्त संघटित पुर्जों के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किये जाने पर, उतने रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना मे अन्तर्विष्ट छूट के न दिये जाने की दशा मे उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"।

[फा० सं० 528/5/86-सी०शु० (टी०यू०)]

No. 277/86-CUSTOMS

G.S.R. 696(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department

of Revenue) No. 39-Customs dated the 15th February, 1979, namely :—

In the said notification for the condition (ii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(ii) the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said component parts shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said component parts received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said component parts in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.".

[F. No. 528/5/86-Cus(TU)]

सं० 278/86-सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 697(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 45—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जब आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करता है—

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये किया जायेगा,

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिये विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किये गये और उपयोग में लाये गये उक्त आयातित माल का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में रखा जायेगा,

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप में प्रमाणित संक्षिप्ति उक्त आयातित माल के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किये जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट के न दिये जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"।

[फा० सं० 528/5/86-सी०शु० (टी०यु०)]

No. 278/86-CUSTOMS

G.S.R. 697(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 45-Customs, dated the 1st March, 1979, namely :—

In the said notification, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided further that the importer furnishes an undertaking to the effect that :—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified in the first proviso ;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing the receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacture shall be produced within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow :

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.".

[F. No. 528/5/86-Cus(TU)]

सं० 279/86-सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 698(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 64-सीमा-शुल्क, तारीख 6 मार्च 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह तब जब आयातकर्ता इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करता है कि--

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये किया जायेगा;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिये विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किये गये और उपयोग में लाये गये उक्त आयातित माल का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जायेगा;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्ति उक्त आयातित माल के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में 3 मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किये जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट के न दिये जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।"।

[फा० सं० 528/5/86-सी०शु०(टी०यू०)]

No. 279|86-CUSTOMS

G.S.R. 698(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 64-Customs, dated the 6th March, 1979, namely :—

In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacture within a period 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained here and that already paid at the time of importation.".

[F. No. 528|5|86-Cus(TU)]

सं० 280/86-सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 699(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 138-सीमाशुल्क, तारीख 27 जून, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, शर्त (2) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(2) परन्तु यह तब जब आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा—

(क) उक्त बैरी पैच शीव स्टैप रहित स्पिंडिल गति रेग्यूलेटर के आयातित पुर्जों का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये किया जायेगा;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिये विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किये गये और उपयोग में लाये गये उक्त बैरी पैच शीव स्टैप रहित स्पिंडिल गति रेग्युलेटर के आयातित पुर्जों का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जायेगा;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्ति उक्त बैरी पैच शीव स्टैप रहित स्पिंडिल गति रेग्युलेटर के आयातित पुर्जों के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किये जाने पर, उतने रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट के न दिये जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"

[फा० सं० 528/5/86-सी०शु०(टी०यू०)]

No. 280|86-CUSTOMS

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 138|79-Customs dated the 27th June, 1979, namely :—

In the said notification, for condition (2), the following condition shall be substituted, namely :—

"(2) The importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported parts shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said imported parts received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported parts in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528|5|86-Cus(TU)]

सं. 281/86—सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 700(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 103-सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह तब जब आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करता है—

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए उक्त आयातित माल का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्त उक्त आयातित माल के विनिर्माण के स्थान पर के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतने रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"

[फा.सं. 528/5/86—सी.शु. (टी.यू.)]

No. 281|86-CUSTOMS

G.S.R. 700(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 103-Customs, dated the 1st April, 1981, namely :—

In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528|5|86-Cus (TU)]

सं. 282/86—सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 701(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं. 155—सीमाशुल्क, तारीख 28 मई, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, शर्त (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(ii) आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा—

(क) उक्त आयातित पुर्जों का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए उक्त आयातित पुर्जों का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्त उक्त आयातित पुर्जों के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा, और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, माग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"

[फा. सं. 528/5/86-सी.शु. (टी.यू.)]

No. 282/86-CUSTOMS

G.S.R. 701(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 155/81-Customs, dated the 28th May, 1981, namely :—

In the said notification, for conditions (ii) and (iii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(ii) the importer shall furnish an undertaking to the effect that :—

(a) the said imported parts shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said imported parts received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported parts in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported parts but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528/5/86-Cus(TU)]

सं. 283/86-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 702(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 153/82—सीमाशुल्क, तारीख 18 मई, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्.—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्.—

"परन्तु यह तब जब आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करता है,—

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए उक्त आयातित माल का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा ;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित संक्षिप्त उक्त आयातित माल के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, माग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आवास के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"

[फा. सं. 528/5/86-सी.शु. (टी.यू.)]

No. 283/86-CUSTOMS

G.S.R. 702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 153/82-Customs, dated the 18th May, 1982, namely :—

In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528|5|86-Cus (TU)]

स. 284/86-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 703(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित मे ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 29/83—सीमाशुल्क, तारीख 25 फरवरी, 1983 मे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात.—

उक्त अधिसूचना मे, शर्त (iii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(iii) आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा ;

(क) उक्त सघटित पुर्जों (जिनमें ईंधन सक्षम मोटर कारो के अर्ध तैयार दशा में पैक और पूर्ण तैयार दशा मे पैक भी हैं) का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग मे लाए गए उक्त सघटको का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा ;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित सक्षिप्ति उक्त संघटको के विनिर्माण के स्थान के परिसर मे प्राप्ति के साक्ष्य के रूप मे तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर की शत (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा मे, मांग किए जाने पर, उतने रकम का सदाय करेगा जो इस अधिसूचना मे अतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा मे उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"

[फा.स. 528/5/86-सी.शु.(टी.यू.)]

No. 284|86-CUSTOMS

G.S.R. 703(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 29|83-Customs, dated the 25th February, 1983, namely :—

In the said notification, for condition (iii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(iii) the importer furnishes an undertaking to the effect that :

(a) the said components (including components of fuel efficient motor cars in semi-knocked down packs and completely knocked down packs) shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said components received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said components in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said components but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528|5|86-Cus(TU)]

स 285/86—सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 704(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/83—सीमाशुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना मे, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह तब जब आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करता है.—

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए उक्त आयातित माल का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्ति उक्त आयातित माल के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतने रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट

के न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"

[फा. सं. 528/5/86—सी.शु. (टा.यू.)]

No. 285/86-CUSTOMS

G.S.R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 2/83-Customs dated the 1st January, 1983, namely :—

In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above ;

(b) that he shall maintain an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing the receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528/5/86-Cus(TU)]

सं. 286/86-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 705(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 30/83—सीमाशुल्क, तारीख 25 फरवरी, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, शर्त (iii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(iii) आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा:—

(क) उक्त संघटकों का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए उक्त संघटकों/आयातित माल का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा ;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित साक्षी उक्त संघटकों के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, माँग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"

[फा.सं. 528/5/86—सी.शु. (टा.यू.)]

No. 286/86-CUSTOMS

G.S.R. 705(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 30-Customs, dated the 25th February, 1983, namely :—

In the said notification, for condition (iii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(iii) the importer shall furnish an undertaking to the effect that—

(a) the said components shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said components received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the mannerspecified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said components in the premises of the place of manufacture within a period of . months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528/5/86-Cus (TU)]

सं. 287/86-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 706(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित

में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 118/83—सीमाशुल्क, तारीख 4 मई, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, शर्त (2) के स्थान पर निम्नलिखित शर्तें रखी जाएंगी, अर्थात:—

"(2) आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा; —

(क) उक्त संघटक पूर्जों का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए उक्त संघटक पुर्जों के आयातित माल का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा ;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्ति उक्त संघटक पुर्जों के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप मे तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर की शर्तें (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतने रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना मे अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा मे उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"

[फा.सं. 528/5/86–सी.शु.(टी.यू.)]

No. 287/86-CUSTOMS

G.S.R. 706(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 118/83-Customs, dated the 4th May, 1983, namely :—

In the said notification, for condition (2), the following condition shall be substituted, namely :—

"(2) the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said component parts shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said component parts received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said component parts in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow : and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said component parts but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.".

[F. No. 528/5/86-Cus(TU)]

सं. 288/86 सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 707(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 320 सीमा-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में, शर्त (3) के स्थान पर निम्नलिखित शर्तें रखी जाएंगी, अर्थात् :

"(3) आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा

(क) उक्त संघटकों का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए उक्त संघटकों का हिसाब सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्ति उक्त संघटकों के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करे, और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतने रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"

[फा.स. 528/5/86/सी.शु. (टी.यू.)]

No. 288/86 CUSTOMS

G.S.R. 707(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 320/83-Customs, dated the 21st December 1983, namely :—

In the said notification, for condition (iii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(iii) the importer shall furnish an undertaking to the effect that—

(a) the said components shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said components received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said components in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.".

[F. No. 528/5/86-Cus(TU)]

सं 289/86-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 708(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 157/84-सीमाशुल्क, तारीख 19 मई, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में, शर्त (ग) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात —

"(ग) आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा—

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए उक्त आयातित माल का हिसाब सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में रखा जाएगा ,

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्ति उक्त आयातित माल के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा , और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।"

[फा. सं. 528/5/86/सी. शु.(टी.यू.)]

No. 289/86-CUSTOMS

G.S.R. 708(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No. 157/84-Customs dated the 19th May, 1984, namely :—

In the said notification, for condition (c), the following condition shall be substituted, namely :—

"(c) the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above :

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of maufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528/5/86 Cus(TU)]

सं 290/86-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 709(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 210/सीमा-शुल्क, तारीख 10 अगस्त 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जायेगा —

"परन्तु यह तब जबकि आयातकर्ता इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करता है कि

(क) उक्त आयातित माल का उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ,

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान में अभिप्राप्त और उपभोग में लाए गए उक्त आयातित माल का एक लेखा सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में बनाए रखा जाएगा ,

(ग) वह विनिर्माण के स्थान की परिसर में उक्त आयातित माल की प्राप्ति के साक्ष्य स्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखों का उद्धरण 3 मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही प्रदत्त शुल्क के अंतर के बराबर हो।

[फा.स. 528/5/86/सी.शु. (टी.यू.)]

No. 290|86-CUSTOMS

G.S.R. 709(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 219|84-Customs, dated 10th August 1984, namely :—

In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that :—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.".

[F. No. 528|5|86-Cus(TU)]

सं. 291/86-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 710(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 247 सीमा-शुल्क, तारीख 27 सितम्बर 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, शर्त (2) और शर्त (3) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा—

(क) उक्त संघटकों और उपस्करों का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए उक्त संघटकों और उपस्करों का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा।

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संक्षिप्ति उक्त संघटकों और उपस्करों के विनिर्माण के स्थान के परिसर में प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतने रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अंतर के बराबर हो।"

[फा सं० 528/5/86.सी.शु. (टी.यू.)]

No. 291|86-CUSTOMS

G.S.R. 710(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 247|84-Customs, dated the 27th September, 1984, namely :—

In the said notification, for conditions (2) and (3), the following condition shall be substituted namely :—

"(ii) the importer shall furnish an undertaking to the effect that—

(a) the said components and equipments shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said components and equipments received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said components and equipments in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said components and equipments but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.".

[F. No. 528/5/86-Cus(TU)]

सं. 292/86—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 711(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 254—सीमाशुल्क तारीख 8 अक्तूबर 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना मे शर्त (iii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(iii) आयातकर्ता इस आशय का एक बचनबध प्रस्तुत करेगा कि—

(क) उक्त आयातित माल का उपयोग पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ;

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान मे अभिप्राप्त और उपभोग मे लाए गए उक्त आयातित माल का एक लेखा सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति मे बनाए रखा जाएगा ;

(ग) वह विनिर्माण के स्थान की परिसर मे उक्त आयातित माल की प्राप्ति के साक्ष्य स्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखो का उद्धरण 3 मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढाई गई अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा ,

(घ) वह, ऊपर (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा मे, माग किए जाने पर, उतनी रकम का सदाय करेगा जो इस अधिसूचना मे अंतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा मे उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।"

[फा.सं. 528/5/86-सी.शु (टी.यू.)]

No. 292/86 CUSTOMS

G.S.R. 711(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 254-Customs, dated 8th October, 1984, namely :—

In the said notification, for condition (iii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(iii) the importer shall furnish an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.".

[F. No. 528/5/86-Cus(TU)]

सं. 293/86—सीमाशुल्क

सा.का.नि 712(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 268/84 सीमाशुल्क तारीख 30 अक्तूबर, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, शर्त (iii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(iii) आयातकर्ता इस आशय का बचनबंध प्रस्तुत करेगा कि—

(क) उक्त संघटकों का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ;

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान में अभिप्राप्त की गई और उपयोग में लाए गए उक्त संघटकों का एक लेखा सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में बनाए रखा जाएगा ;

(ग) वह विनिर्माण के स्थान की परिसर में उक्त संघटकों की प्राप्ति के साक्ष्य स्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखों के उद्धरण 3 मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढाई गई अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।

[फा.सं. 528/5/86-सी.शु. (टी.यू.)]

No. 293/86—CUSTOMS

G.S.R. 712(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so

to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No. 268|84-Customs, dated the 30th October, 1984, namely :—

In the said notification, for condition (iii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(iii) the importer shall furnish an undertaking to the effect that—

(a) the said components shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said components received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said components in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528|5|86-Cus(TU)]

सं. 294/86–सीमाशुल्क

सा.का.नि. 713(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 7–सीमाशुल्क, तारीख 16 जनवरी, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में शर्त (3) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) आयातकर्ता इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि—

(क) उक्त संघटक या माल का उपयोग पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ;

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर अभिप्राप्त किए गए और उपभोग में लाए गए उक्त संघटक या माल का एक लेखा सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में बनाए रखा जाएगा,

(ग) वह विनिर्माण के स्थान की परिसर में उक्त संघटक या माल की प्राप्ति के साक्ष्य स्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखाओं का उद्धरण 3 मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह ऊपर (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संसद शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो

[फा.सं. 528/5/86–सी.शु. (टी.यू.)]

No. 294|86-CUSTOMS

G.S.R. 713(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 7—Customs, dated the 16th January, 1965, namely:—

In the said notification, for condition (iii), the following condition shall be substituted, namely:—

"(iii) the importer shall furnish an undertaking to the effect that—

(a) the said components or the goods shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said components or the goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said components or the goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantities of the said imported components or the goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528|5|86-Cus(TU)]

सं. 295/86–सीमाशुल्क

सा.का.नि. 714(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10–सीमाशुल्क, तारीख 16 जनवरी, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में शर्त (3) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) आयातकर्ता इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि : —

(क) उक्त संघटकों का उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ;

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर अभिप्राप्त किए गए और उपभोग मे लाए गए उक्त सघटको का एक लेखा सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति मे बनाए रखा जाएगा ;

(ग) वह विनिर्माण के स्थान की परिसर मे उक्त सघटकों की प्राप्ति के साक्ष्य स्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखा का एक उद्धरण 3 मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा ; और

(घ) वह, शर्त ऊपर (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने मे असफल रहने की दशा मे, माग किए जाने पर, उतनी रकम का सदाय करेगा जो इस अधिसूचना मे अतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा मे उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।"

[फा.स. 528/5/86-सी.शु. (टी.यू.)]

No. 295/86-CUSTOMS

G.S.R. 714(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Mininistry of Finance, Department of Revenue No. 10—Customs, dated the 16th January, 1985, namely:—

In the said notification, for condition (iii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(iii) the importer shall furnish an undertaking to the effect that—

(a) the said components shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said components received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said components in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528/5/86-Cus. (TU)]

सं. 296/86-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 715(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना स. 39-सीमाशुल्क तारीख 28 फरवरी, 1985 मे निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना मे,—

(क) शर्त (ii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(ii) आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करता है, —

(क) उक्त आयातित माल का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग मे लाए गए उक्त आयातित माल का हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा ;

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित सक्षिप्त उक्त आयातित माल के विनिर्माण के स्थान के परिसर मे प्राप्ति के साक्ष्य के रूप मे तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा,, और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने मे असफल रहने की दशा मे, माग किए जाने पर उतनी रकम का सदाय करेगा, जो इस अधिसूचना मे अन्तर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा मे उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही सदत्त शुल्क के अतर के बराबर हो, और";

(ख) शर्त (iii) और शर्त (iv) के अन्त मे आने वाले शब्द "और" का लोप किया जाएगा।

[फा.स. 528/5/86-सी.शु. (टी.यू.)]

No. 296/86-CUSTOMS

G.S.R. 715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 39-Customs, dated the 28th February, 1985, namely :—

In the said notification (a) for condition (ii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(ii) the importer furnishes an undertaking to the effect that :

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported

goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

(b) the word "and" occuring at the end of condition (iii) and condition (iv) shall be omitted.

[F. No. 528/5/86-Cus(TU)]

सं. 297/86—सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 716(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 75—सीमा-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में शर्त (iii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(iii) आयातकर्ता इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि:—

(क) उक्त आयातित माल (अपरिष्कृत सामग्री से भिन्न) का उपयोग उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ;

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान में अभिप्राप्त किए गए और उपभोग में लाए गए उक्त आयातित माल का एक लेखा सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में बनाए रखा जाएगा ;

(ग) वह विनिर्माण के स्थान की परिसर में उक्त आयातित माल की प्राप्ति के साक्ष्य स्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखाओं का उद्धरण 3 मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, ऊपर (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।"

[फा.सं. 528/5/86-सी.शु. (टी.यू.)]

No. 297/86—CUSTOMS

G.S.R. 716(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 75 Customs, dated the 17th March, 1985, namely :—

In the said notification for the condition (iii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(iii) the importer shall furnish an undertaking to the effect that :

(a) the said imported goods (other than raw materials) shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacturer within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528/5/86-Cus (TU)]

सं. 298/86—सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 717(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 216—सीमा-शुल्क, तारीख 3 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में शर्त (iii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(iii) आयातकर्ता इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि:—

(क) उक्त संघटकों का उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ;

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान में अभिप्राप्त किए गए और उपभोग में लाए गए उक्त संघटकों का एक लेखा सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में बनाए रखा जाएगा ;

(ग) वह विनिर्माण के स्थान की परिसर में उक्त संघटकों की प्राप्ति के साक्ष्य स्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखाओं का एक उद्धरण 3 मास की अवधि के भीतर या ऐसे बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा, और

(घ) वह, ऊपर (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।"

[फा.सं. 528/5/86-सी.शु. (टी.यू.)]

NO. 298|86-CUSTOMS

G.S.R. 717(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 216-Customs, dated the 3rd July 1985, namely :—

In the said notification, for condition (iii), the following condition shall be substituted, namely :—

(iii) the importer shall furnish an undertaking to the effect that :—

(a) the said components shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said components received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said components in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to cmoply with (a), (b) or (c). above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F. No. 528|5|86-Cus(TU)]

सं. 299/86–सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 718(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 348/85–सीमा-शुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में शर्त (iii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् —

"(iii) आयातकर्ता इस आशय का एक बचनबंध प्रस्तुत करेगा कि —

(क) उक्त संघटकों का उपयोग पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ;

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान में अभिप्राप्त किए गए और उपभोग में लाए गए उक्त संघटकों का एक लेखा सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में बनाए रखा जाएगा ,

(ग) वह विनिर्माण के स्थान की परिसर में उक्त संघटकों की प्राप्ति के साक्ष्य स्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखाओं का उद्धरण 3 मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह ऊपर (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दिए जाने की दशा में उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।" ।

[फा.स. 528/5/86-सी.शु. (टी.यू.)]

NO. 299|86-CUSTOMS

G.S.R. 718(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 348|85-Customs, dated the 5th of December 1985, namely :—

In the said notification for condition (iii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(iii) The importer shall furnish an undertaking to the effect that—

(a) the said components shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said components received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said components in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.".

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं. 300/86–सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 719(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 350/85–सीमा-शुल्क तारीख 5 दिसम्बर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में शर्त (iii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(iii) आयातकर्ता इस आशय का एक बचनबंध प्रस्तुत करेगा कि—

(क) उक्त आयातित माल (अपरिष्कृत सामग्री से भिन्न) का उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ;

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान में अभिप्राप्त किए गए और उपभोग में लाए गए उक्त माल का एक लेखा सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में बनाए रखा जाएगा ;

(ग) वह विनिर्माण के स्थान की परिसर मे उक्त आयातित माल की प्राप्ति के साक्ष्य स्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखाओ का उद्धरण 3 मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढाई गई अवधि के भीतर जो सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा, और

(घ) वह, ऊपर (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने मे असफल रहने की दशा मे, माग किए जाने पर, उतनी रकम का सदाय करेगा जो इस अधिसूचना मे अर्तविष्ट छूट न दिए जाने की दशा मे, उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही सदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।" ।

[फा स. 528/5/86-सी शु (टी यू)]

NO. 300|86-CUSTOMS

G.S.R. 719(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interst so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 350|85-Customs, dated the 5th December 1985, namely :—

In the said notification, for condition (iii), the following condition shall be substituted, namely:—

"(iii) The importer shall furnish an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods (other than raw materials) shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.".

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं 301/86—सीमा-शुल्क

सा का.नि 720(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 351/85—सीमा-शुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1985 मे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना मे शर्त (iii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(iii) आयातकर्ता इस आशय का एक बचनबद्ध प्रस्तुत करेगा कि :—

(क) उक्त आयातित माल (अपरिष्कृत सामग्री से भिन्न) का उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ,

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान मे अभिप्राप्त किए गए और उपभोग मे लाए गए उक्त माल का एक लेखा सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति मे बनाए रखा जाएगा ,

(ग) वह विनिर्माण के स्थान की परिसर मे उक्त आयातित माल की प्राप्ति के साक्ष्य स्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखो का उद्धरण 3 मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढाई गई अवधि के भीतर जो सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा, और

(घ) वह, ऊपर (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने मे असफल रहने की दशा मे, माग किए जाने पर, उतनी रकम का सदाय करेगा जो इस अधिसूचना मे अर्तविष्ट छूट न दिए जाने की दशा मे उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही सदत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य हो।" ।

[फा स. 528/5/86-सी शु (टी यू)]

NO 301|86-CUSTOMS

G S.R. 720(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 351|85-Customs, dated the 5th December, 1985, namely :—

In the said notification, for condition (iii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(iii) The importer shall furnish an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods (other than raw materials) shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay on demand in the event of his failure to comply with (a) (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation."

[F No 528|5|86-CUS(TU)]

सं 302/86—सीमा-शुल्क

सा का नि 721(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 155-सीमा-शुल्क तारीख 1 मार्च 1986 मे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् --

उक्त अधिसूचना म, शर्त (2) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी अर्थात् ---

'(2) आयातकर्ता निम्नलिखित आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा ---

(क) उक्त आयातित पुर्जों का प्रयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा ,

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त किए गए और उपयोग मे लाए गए उक्त आयातित पुर्जों का हिसाब सहायक सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा ,

(ग) वह ऐसे हिसाब की विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित सक्षिप्त उक्त आयातित पुर्जों के विनिर्माण के स्थान के परिसर मे प्राप्ति के साक्ष्य के रूप मे तीन मास की अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करेगा, और

(घ) वह, ऊपर की शर्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने म असफल रहने की दशा मे, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना मे अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा मे उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।' ।

[फा. सं. 528/5/86-सी.शु. (टी.यू.)]

NO. 302|86-CUSTOMS

G.S.R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 155-Customs, dated the 1st March, 1986, namely :—

In the said notification, for condition (2), the following condition shall be substituted, namely :—

"(2) the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported parts shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said imported parts received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported parts in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.".

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]

सं. 303/86-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 722(अ) ---केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व और बैंकिंग विभाग या राजस्व और बीमा विभाग या राजस्व विभाग की नीचे अनुसूची म विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं को विखंडित करती है ---

अनुसूची

1 165/76-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
2 220/76-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
3 226/76-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
4 208/78-सीमा-शुल्क, तारीख 11 नवम्बर, 1978
5 80/79-सीमा-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 1979
6 120/79-सीमा-शुल्क, तारीख 2 जून, 1979
7 324/83-सीमा-शुल्क, तारीख 23 दिसम्बर, 1983
8 117/85-सीमा-शुल्क तारीख 1 अप्रैल, 1985

[फा. सं. 528/5/86-सी.शु. (टी.यू.)]
एम. एन. विश्वास, अवर सचिव

NO. 303|86-CUSTOMS

G.S.R. 722(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby rescinds the notifications of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue and Banking or Department of Revenue and Insurance or the Department of Revenue, as the case may be, specified in the Schedule below :

SCHEDULE

1. 165|76-Customs, dated the 2nd August, 1976.
2. 220|76-Customs, dated the 2nd August, 1976.
3. 226|76-Customs, dated the 2nd August, 1976.
4. 208|78-Customs, dated the 11th November, 1978.
5. 80|79-Customs, dated the 31st March, 1979.
6. 120|79-Customs, dated the 2nd June, 1979.
7. 324|83-Customs, dated the 23rd December, 1983.
8. 117|85-Customs, dated the 1st April, 1985.

[F. No. 528|5|86-CUS(TU)]
M. N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986